रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1043] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934
No. 1043] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

का.आ. 1259(अ).— पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य एक समृद्ध और सघन जैव-विविधता क्षेत्र वाला वन्यजीव अभयारण्य है जो सभी ओर से बांस क्षेत्र सहित उत्तम गुणता के सागौन वनों से घिरा हुआ है और इसमें बहुत समृद्ध जैव-विविधता है जिनमें 61 वृक्ष प्रजातियां, जड़ी-बूटियों और झाड़ियों की 31 प्रजातियां, लताओं की 18 प्रजातियां, स्तनपायियों की 24 प्रजातियां, जिनमें कुछ दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं, सरीसृपों की 18 प्रजातियां, कीटों की 3000 से अधिक प्रजातियां और पक्षियों की 142 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं;

और पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण और परित्राण करना आवश्यक है, पूर्णा वन्य जीव अभयारण्य के वंशानुगत संसाधनों में सुधार ओर संरक्षण करने के उद्देश्य से आवासीय प्रबंध द्वारा प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय प्रजातियों के पुनः आवास और पुनर्वास करना, पर्यावरणीय शिक्षा और पारिस्थिकी अनुसंधान करना आवश्यक हो गया है;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 उप-धारा (2) के खंड (V) और खंड (XiV) के साथ पठित उप-धारा (1) के अधीन प्रारूप अधिसूचना जो पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 1266 (अ) तिथि 1 जून, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उसमें प्रभावित होने की संभावना थी । उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

उक्त अधिसूचना की राजपत्र प्रतियां जनता को 1 जून, 2011 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (V) तथा, खंड (XiV) के साथ पठित उप-धारा (I) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर लगे पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर दो किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवदेनशील जोन (जिसको इसमें इसके पश्चात पूर्णा पारिस्थितिक संवदेनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है ।

1. पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवदेनशील जोन की सीमाएं -

(क) पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य अक्षांश 20^0 51' 15" उत्तर तथा 21^0 31' 22" उत्तर और 73^0 32' 20" पूर्व और 73^0 48' 30" पूर्व देशांतर रेखांश के मध्य स्थित है ;

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र 160.8451 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण अभयारण्य डैंग्स जिले में आता है जिसका मुख्यालय आहवा है ;

(ग) पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिक-संवेदनशील जोन 25036.49 हेक्टेयर है, सभी तरफ से पारिस्थितिक-संवेदनशील जोन की परिधीय रेंज 0-2 किलोमीटर है और संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर मान दूरी 1.5 किलोमीटर है ;

(घ) महल, अभयारण्य का मध्य स्थान है, उत्तर का क्षेत्र ढलान वाला रिज है जो वयारा प्रभाग (सूरत जिला) की सीमा है, अभयारण्य की दूसरी ओर डैंग्स जिला आता है ;

(ड.) आस-पास के वन क्षेत्रों का उपयोग अभयारण्य के वन्यजीवों द्वारा किया जाता है ;

(च) पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील जोन (पारिस्थितिक संवदेनशील ज़ोन) का मानचित्र और भूमंडलीय स्थितीय प्रणाली बिंदु उपाबद्ध-I के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है तथा पूर्णा पारिस्थितिक-संवेदनशील जोन के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची उपाबद्ध-II के रूप में संलग्न है।

2. पूर्णा पारिस्थितिक संवदेनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान -

(1) पूर्णा पारिस्थितिक संवदेनशील जोन का जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा, जो कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), राज्य में तत्समय प्रवृत्त नगर एवं ग्राम योजना से संबंधित विधि में विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रभागीय कार्य योजनाओं और

केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाएंगे जो कि इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे ।

(2) जोनल मास्टर प्लान सभी संबंधित राज्य विभागों जैसे कि पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका, राजस्व और गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्यक सहभागिता से, इनमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करने की दृष्टि से, तैयार किया जाएगा ।

(3) जोनल मास्टर प्लान, वृक्षहीन क्षेत्र को प्रत्यावर्तित करने, विद्यमान जल निकायों का संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, वाटरशेड प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अन्य पहलुओं व्यवस्था करेगा जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

(4) जोनल मास्टर प्लान, सभी विद्यमान पूजा स्थानों, गांवों, बस्तियों, वनों के प्रकारों कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्रों, उद्यान क्षेत्रों, आर्किड, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा निर्धारित करेगा।

(5) हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे चाय बागानों, बागवानी क्षेत्र, कृषि, उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के कारण स्थानीय निवासियों की स्थानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि भूमियों के सीमित संपरिवर्तनों को ही राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(6) जोनल मास्टर प्लान, मॉनीटरी समिति के लिए एक निर्देश दस्तावेज होगा जिसे वह किसी शिथिलीकरण का विचार करने सहित उनके द्वारा किए जाने वाले विनिश्चय के लिए उपयोग कर सकेगी ।

(7) 5000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी मानव पर्यावास क्षेत्रों में क्षेत्र विकास योजना होंगी और उन्हें स्थानीय स्व-सरकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाएगा ।

(8) पारिस्थितिक संवदेनशील ज़ोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन होने तक सभी नए संनिर्माणों और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों को इस अधिसूचना के पैरा 4 के उप-पैरा (4) के अनुसार निगरानी समिति द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजा जाएगा ।

(9) हरित क्षेत्र जैसे कि वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि को पारिणामिक रूप से कम नहीं किया जाएगा और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों को पुनः वन क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(10) केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अन्य उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगी यदि इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में आवश्यक समझा जाता है ।

3. पारिस्थितिक संवदेनशील जोन में विनियमित और प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप.- पूर्णा पारिस्थितिक संवदेनशील ज़ोन में किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे । इस पैरा के उपबंधों के अधीन रहते हुए पारिस्थितिक संवदेनशील जोन में कार्यकलाप, इस अधिसूचना के उपाबंध 3 के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

(1) औद्योगिक इकाइयां :

राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात्, पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और क्षेत्र में गैर प्रदूषणकारी उद्योग पर न्यूनतम 50 मीटर चौड़ी हरित पट्टी की व्यवस्था के साथ विचार किया जाएगा ।

(2) **उत्खनन और खनन:** (क) तापी और आहवा-डैंग्स जिलों में नदी भागों में स्थानीय उपयोग के लिए प्रयोजन के लिए अभिभावी विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ वन विभाग के परामर्श से चयनित स्थलों में बालू के उत्खनन के अतिरिक्त पारिस्थितिक संवदेनशील जोन में किसी भी खनन और पेराई की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) पारिस्थितिक संवदेनशील जोन में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी और मौजूदा खनन पट्टे, यदि कोई हो, वर्तमान पट्टे की अवधि पूरी होने पर समाप्त की जाएगी और इन खनन पट्टों की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

परंतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एफसीए-1980 के अंतर्गत जारी सं.8-104,89-एफसी तारीख 26/07/1990 के अनुसार अनुमोदित स्थलों के नदी भाग से स्थानीय उपयोग हेतु बालू और पत्थर संग्रह करने की अनुज्ञा होगी ।

(3) **वृक्ष :**

वन में वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना या प्रबंध योजना के अनुसार होनी चाहिए और निजी या राजस्व भूमि पर कटाई राज्य विनियमों के अनुसार अनुज्ञात की जा सकेगी ।

(4) **पर्यटन :**

पर्यटन कार्यकलाप को पर्यटन मास्टर प्लान के होंगे, जिसमें कि पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर जोर होगा, उसे पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जा सकेगा, जो जोनल मास्टर प्लान का संघटक भी होगा ।

(5) भूजल :

(क) भूमि के अधिभोगी को, खेती और घरेलू खपत के लिए भू-जल को निकालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए भू-जल निकालने के लिए राज्य भू-जल बोर्ड से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी जिसके अंतर्गत ऐसी मात्रा भी है जो राज्य भूजल बोर्ड से निकाली जा सकती है ।

(ग) जल के संदूषण या प्रदूषण को जिसके अंतर्गत गतिविधियों से संदूषण या प्रदूषण भी है, रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे ।

(6) प्लास्टिक का उपयोग :

कोई भी व्यक्ति पारिस्थितिकी संवदेनशील जोन में प्लास्टिक के कैरी बैग उपयोग नहीं करेगा और प्लास्टिक की वस्तुओं का व्ययन का कड़ाई से विनियमित किया जाएगा ।

(7) ध्वनि प्रदूषण :

पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, गुजरात को पारिस्थितिकी संवदेनशील जोन में ध्वनि-नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने और जारी करने का प्राधिकार होगा ।

(8) बहिस्रावों का निस्सारण :

पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय या भूमि में अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्राव का निस्तारण किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुरूप अभिक्रियित बहिस्राव होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट :

(क) ठोस अपशिष्ट का व्ययन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000 द्वारा अधिसूचित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) (i) स्थानीय प्राधिकारी जैव अवक्रमणीय और गैर जैव अवक्रमणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव अवक्रमणीय सामग्री का अधिमानी रूप से कम्पोस्टिंग और वर्मी कल्चर के माध्यम से पुनःचक्रण किया जाएगा।

(iii) अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवदेनशील जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में व्ययनित किया जा सकेगा; और

(iv) पारिस्थितिकी संवदेनशील जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या भस्मीकरण किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(10) प्राकृतिक झरने :

सभी झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा सूख चुके झरनों को उनके प्राकृतिक रूप में संरक्षण और पुनर्जीवित करने की योजना को जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार इन क्षेत्रों पर या उनके आस-पास विकास के क्रियाकलाप पर पाबंदी लगाने के लिए सख्त मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी ।

(11) **जागरूकता :** राज्य पर्यावरण और वन विभाग पारिस्थितिकी संवदेनशील ज़ोन में आने वाले प्रत्येक गांव में वन्यजीव अभयारण्य के महत्व और उपयोगिता को रेखांकित करते हुए नियमित रूप से प्रकृति शिक्षा तथा पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाएगा ।

4. निगरानी समिति -

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के अनुपालन की निगरानी के लिए पूर्णा पारिस्थितिकी संवदेनशील ज़ोन निगरानी समिति नामक एक समिति का गठन करती हैं;

(2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट निगरानी समिति दस सदस्यों से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और इसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे : अर्थात् :-

(क) जिलाधिकारी, डैंग्स - अध्यक्ष;

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ग) पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जिसे भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

(घ) क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डैंग्स - सदस्य;

(ड.) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य;

(च) वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(छ) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य

(ज) उप वन संरक्षक, (अभयारण्य का भारसाधक) डैंग्स - सदस्य सचिव

(3) निगरानी समिति की शक्तियां और कृत्य इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बन्धित होंगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित है। निगरानी समिति, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन ऐसे मामलों को पूर्व अनापत्तियों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट करेगी।

(5) निगरानी समिति, संबंधित विभागों या संगठनों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को, मुद्दे-दर-मुद्दे आधारित अपेक्षाओं के आधार पर उनके विचार-विमर्शों पर निर्भर रहते हुए सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) निगरानी समिति का अध्यक्ष या सदस्य सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापों के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

(8) पर्यावरण और वन मंत्रालय, समय-समय पर निगरानी समिति को ऐसे निर्देश देगी, जो वह निगरानी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

उपाबंध-I

[पैरा 1(ख) देखें]

पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और पूर्णा पारिस्थितिकी संवदेनशील ज़ोन का मानचित्र और सीमा के भूमंडलीय स्थितीय प्रणाली बिन्दु

पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य डैंग (उत्तर) वन प्रभाग
के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का मानचित्र

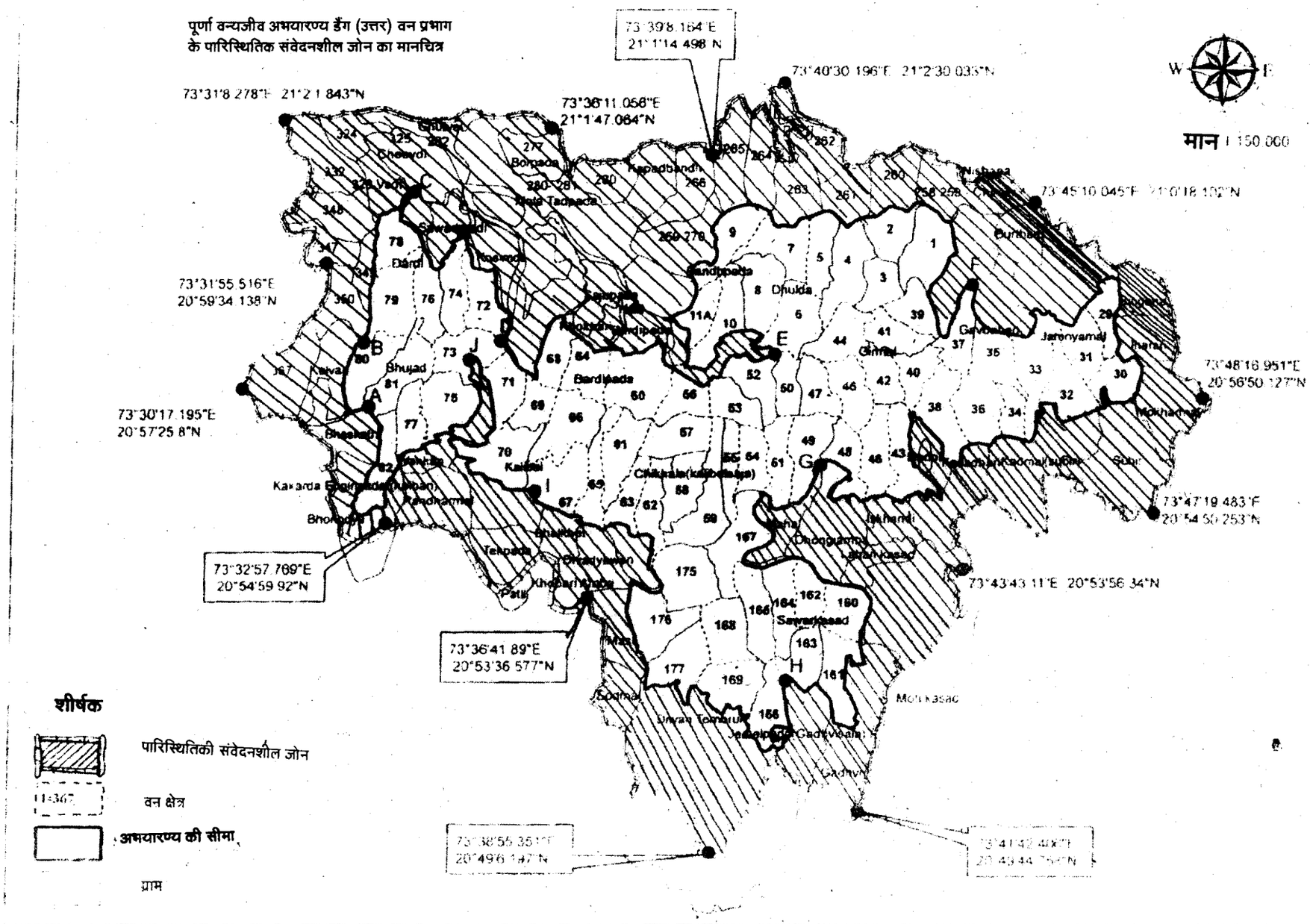

पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य का अक्षांश-देशांतर

डैंग्स (उत्तर) वन प्रभाग

क 73°32'41.386" पू. 20° 57' 2.529"उ.

ख 73°32'36.243" पू. 20° 58' 10.294"उ.

ग 73°33'34.725" पू. 21° 0'44.129"उ.

घ 73°35'9.401" पू. 20° 58'8.364"उ.

ड. 73°40'15.334" पू. 20° 57'46.718"उ.

च 73°43'58.364" पू. 20° 58'55.558"उ.

छ 73°41'5.516" पू. 20° 55'49.51"उ.

ज 73°40'23.434" पू. 20° 52'2.89"उ.

झ 73°35'46.069" पू. 20° 55'29.369"उ.

ञ 73°35'46.069" पू. 20° 55'29.369"उ.

पारिस्थितिकी संवदेनशील जोन के भूमंडलीय स्थितीय प्रणाली बिन्दु की सीमाएं

क्र.सं.	गांव का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	गढवी	20°49'44.758" उ.	73°41'42.406" पू.
2	झुलन्दी	20°53'56.34" उ.	73°43'43.11" पू.
3	सुबीर	20°54'50.253" उ.	73°47'19.483" पू.
4	मोखरमल	20°56'50.127" उ.	73°43'16.951" पू.
5	बर्थाडी	21°0'18.102" उ.	73°45'10.045" पू.
6	अमथावा	21°2'30.033" उ.	73°40'30.196" पू.
7	अमथावा	21°1'14.498" उ.	73°39'8.164" पू.
8	मोटा टदपदा	21°1'0.546" उ.	73°36'30.588" पू.
9	बोरपदा	21°1'47.064" उ.	73°36'11.056" पू.
10	वाडी	21°2'1.843" उ.	73°31'8.278" पू.
11	सावरखारी	20°59'34.138" उ.	73°31'55.516" पू.
12	केलवन	20°57'25.8" उ.	73°30'17.195" पू.
13	जमनपदा	20°54'59.92" उ.	73°32'57.769" पू.
14	खताल	20°53'36.577" उ.	73°36'41.89" पू.
15	अहवा	20°49'6.197" उ.	73°38'55.351" पू.

उपाबंध-II

[पैरा (1) देखें]

पूर्णा पारिस्थितिकी संवदेनशील जोन के क्षेत्र में आने वाले गांव की सूची

क. तालुका अहवा

हडोल, कलिबेल, भालखेत, चिखाला, बर्दीपदा, धुलदा, गिरमल, सावरखादी, दर्दी, भुजड, बांधपदा, सावरदाकसाद, दिवंतेमरूम, गावदहद, जमनयामल, कसदबरी, सजुपदा, इसखंडी, भेसकत्री, महल, धोंगीआंबा, कदमल, ज़रन, शिंगाना, कोसीमदा, खोखरी, बर्थाडी, मछाली, सुबिर, मोखामल, दिवदयावन, मोतीकसद, इंजिनपदा, गधावी (रूईमल), पंडरमल, भोंगडिया, जमलापदा, वनकन ।

ख. सौंगढ़

बोरपदा, गटवेल, वादी (रूपगढ़), कपडभांड, मोटा, तडपदा, चिमेर, केलवन, चेवडी ।

पारिस्थितिकी संवदेनशील जोन में आने वाले प्रस्तावित गांवों का ब्यौरा

क्रम सं.	गांव का नाम	तालुका का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर)			टिप्पणियां
			वन क्षेत्र	वनेतर क्षेत्र	कुल क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7
1.	हदोल	अहवा	18.22	170.56	188.78	डैंग्स जिला
2.	कलिबेल	अहवा	42.66	351.92	394.58	”
3.	भालखेत	अहवा	44.11	320.90	365.01	”
4.	चिखाला	अहवा	10.11	201.45	211.56	”
5.	बर्दीपदा	अहवा	39.64	281.74	321.38	”
6.	धूलदा	अहवा	30.73	389.83	420.56	”
7.	गिरमल	अहवा	77.03	429.48	506.51	”
8.	सवरखादी	अहवा	155.32	63.70	219.02	”
9.	दर्दी	अहवा	49.19	27.34	76.53	”
10.	भुजड	अहवा	58.95	164.63	223.58	”
11.	बांधपदा	अहवा	9.26	92.89	102.15	”
12.	सावरदाकसाद	अहवा	3.92	129.70	133.62	”
13.	दिवंतेमरूम	अहवा	79.29	4669.10	4748.39	”
14.	गावदहद	अहवा	70.73	232.84	303.57	”
15.	जमनयामल	अहवा	24.09	609.90	633.99	”

16.	कसदबरी	अहवा	97.32	316.01	413.33	"
17.	सजुपदा	अहवा	35.03	181.64	216.67	"
18.	इश्खंडी	अहवा	3.31	204.67	207.98	"
19.	भेसकत्री	अहवा	16.06	296.65	312.71	"
20.	महल	अहवा	88.62	179.08	267.70	"
21.	धोंगीआंबा	अहवा	110.78	457.28	568.06	"
22.	कदमल	अहवा	89.55	775.81	865.36	"
23.	ज़रन	अहवा	16.87	262.94	279.81	"
24.	शिंगाना	अहवा	15.06	253.03	268.09	"
25.	कोसीमदा	अहवा	41.14	259.55	300.69	"
26.	खोखरी	अहवा	32.37	75.55	107.92	"
27.	बर्थाडी	अहवा	4.88	162.58	167.46	"
28.	मछाली	अहवा	71.10	225.54	296.64	"
29.	सुबिर	अहवा	42.08	739.95	782.03	"
30.	मोखामल	अहवा	30.13	423.25	453.38	"
31.	दिवदयावन	अहवा	52.48	194.87	247.35	"
32.	मोतीकसद	अहवा	2856.01	150.26	3006.27	"
33.	एंजिनपदा	अहवा	60.27	68.03	128.30	"
34.	गढ़ावी (रूईमल)	अहवा	165.12	884.53	1049.65	"
35.	पंढरमल	अहवा	52.35	381.27	433.62	"
36.	भोगडिया	अहवा	220.22	104.05	324.27	"
37.	जमलापदा	अहवा	89.39	348.47	437.86	"
38.	वनकन	अहवा	37.10	58.90	96.00	"
	कुल (अहवा तालुका) :		**4940.49**	**15139.89**	**20080.38**	
39.	बोरपदा	सौंगढ़	127.18	210.47	337.65	तापी जिला
40.	गटवेल	सौंगढ़	161.59	210.09	371.68	"
41.	वादी (रूपगढ़)	सौंगढ़	290.84	125.44	416.28	"
42.	कपडभांड	सौंगढ़	967.43	185.13	1152.56	"
43.	मोटा तडपदा	सौंगढ़	178.60	223.63	402.23	"
44.	चिमेर	सौंगढ़	1067.88	445.44	1513.32	"
45.	केलवन	सौंगढ़	283.68	234.87	518.55	"
46.	चेवडी	सौंगढ़	131.64	112.20	243.84	"
	कुल (सौंगढ़ तालुका) :		**3208.84**	**1747.27**	**4956.11**	
	कुल योग :		**8149.33**	**16887.16**	**25036.49**	

उपाबंध-III
(पैरा 3 देखें)

पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास पारिस्थितिकी संवदेनशील क्षेत्र में प्रतिषिद्ध, विनियमित अथवा अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञात	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन	हां			घरों के निर्माण अथवा मरम्मत तथा वैयक्तिक उपयोग हेतु आवास हेतु कंट्री टाइलों या ईंटों के विनिर्माण के लिए विनियमन से मिट्टी की खुदवाई प्रतिषिद्ध नहीं होगी।
2.	वृक्षों की कटाई		हां		समुचित प्राधिकारी की अनुमति से
3.	आरा मशीनों की स्थापना	हां			
4.	प्रदूषण के कारक उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मिट्टी, शोर, आदि)	हां			
5.	होटलों और रिसॉर्टों की स्थापना		हां		अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार पर्यावास का ध्यान रखा जाता है और वहां वन्यजीव की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।
6.	जलावन लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग	हां			होटलों तथा अन्य संबंधित व्यवसाय की स्थापना के लिए
7.	कृषि प्रणालियों के तीव्र परिवर्तन		हां		

8.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसमें भू-जल संचयन सम्मिलित हैं	हां			होटलों तथा अन्य संबंधित व्यवसाय स्थापन के लिए
9.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां			
10.	वैद्युत केबलों का उत्थापन		हां		भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथा			हां	तथापि, इनमें से कुछ क्रियाकलापों के अत्यधिक विस्तार को मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए
12.	वर्षा जल संचयन			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
13.	होटल और लॉज परिसर में बाड़ लगाना	हां			
14.	जैविक खेती			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए
15.	दुकानदार द्वारा पॉलीथीन बैग का प्रयोग	हां			
16.	पुनः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
17.	सड़कों को चौड़ा करना		हां		इसे समुचित ईआईए तथा उपशमन उपायों के अनुसार किया जाना चाहिए ।
18.	रात में यानीय यातायात का संचलन		हां		वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए
19.	विदेशी प्रजातियों का रखना	हां			

20.	किसी भी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां			
21.	पर्यटन से संबंधित कार्यकलाप जैसे कि नेशनल पार्क से ऊपर एयरक्राफ्ट और गर्म हवा के गुब्बारे की उड़ान	हां			
22.	पहाड़ी ढ़लानों और नदी के किनारों की सुरक्षा		हां		मास्टर प्लान के अनुसार
23.	प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्र में बहिस्रावों और ठोस अपशिष्ट का विसर्जन	हां			
24.	हवा और यानीय प्रदूषण		हां		
25.	साइन बोर्ड और होर्डिंग		हां		
26.	सभी कार्यकलापों हेतु हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए

[फा. सं. 25/3/2012-ईएसजेड/आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मणयम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2012

S.O. 1259(E).—Whereas, the Purna Wildlife Sanctuary is one of the richest and compact bio-diversity patches covered on all sides by very good quality teak forests along with bamboo patches dotted in between and it maintains very rich bio-diversity comprising 61 tree species, 31 species of herbs and shrubs and 18 species of climbers, 24 mammal species which include some rare species, 18 species of reptiles, more than 3000 species of insects and more than 142 species of birds;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Purna Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of Purna Wildlife Sanctuary, reintroduction and rehabilitation of local species through breeding programmes, promote environmental education and ecological research;

And whereas, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1266(E), dated the 1st June, 2011, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 1st June, 2011;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area upto 2 kilometers from the boundary of the protected area of Purna Wildlife Sanctuary, enclosed within the boundary described below in the State of Gujarat as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Purna Eco-sensitive Zone).

1. Boundaries of Purna Eco-sensitive Zone.–

(a) Purna Wildlife Sanctuary is situated between latitude 20° 51′ 15" N and 21° 31′ 22" N and between 73° 32′ 20" E and 73° 48′ 30" E longitude;

(b) the total area covered is 160.8451 square kilometer. Entire sanctuary comes in Dangs district with the headquarters at Ahwa;

(c) the extent of Eco-sensitive Zone surrounding Purna Wildlife Sanctuary Protected Area is 25036.49 ha. The range of radius of the Eco-sensitive zone is 0-2 kilometer on all sides and mean distance is 1.5 kilometer surrounding the Protected Area;

(d) Mahal is a central place of sanctuary, the area of north is a continuous ridge with steep slope, which is boundary of Vyara division (Surat district), other side of the sanctuary falls in Dangs district;

(e) forests of the surrounding areas are also used by the Wild animals of Sanctuary;

(f) the map and boundary Global Positioning System points of Purna Wildlife Sanctuary and Purna Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone is appended with this notification as **Annexure I** and the list of the villages falling within Purna Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Purna Eco-sensitive Zone.–

(1) A Zonal Master Plan for the Purna Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as are specified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the law relating to town and country planning for the time being in force in the State, the divisional working plans and the guidelines issued by Central Government, within a period of two years from the date of this notification and approved by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue and the Gujarat State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it.

(3) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(5) No change of land use from green uses such as tea gardens, horticulture areas, agriculture, parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan. However, to meet the residential needs of the local residents due to the natural growth of existing local population, strictly limited conversion of agricultural lands may be permitted, with the prior approval of the State Government.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

(7) All the human habitation areas with populations of 5000 and above shall have Area Development Plan and be prepared under the guidance of local self Government.

(8) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests all new constructions and other developmental activities shall be referred to the Ministry of Environment and Forests by the Monitoring Committee as per sub-para (4) of paragraph 4 of the notification.

(9) There shall be no consequential reduction in Green area such as forest area, agricultural area, etc. and the unused or unproductive agricultural areas may be re-forested.

(10) The Central Government and the State Government may specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Purna Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in accordance with **Annexure III** to this notification.

(1) Industrial Units: On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone and the non-polluting industries in the region may be considered with the provision of minimum of 50 meter wide green belt.

(2) Quarrying and Mining: (a) No mining and crushing shall be allowed within the Eco-sensitive Zone; provided that the quarrying of sand for local use in river beds in Tapi and Ahwa-Dangs Districts may be permitted at selected sites in consultation with Forest Department with due safe guards, as per the existing rules and regulation prevailing for the purpose;

(b) no fresh mining lease shall be granted in eco-sensitive zone and the existing mining leases, if any, shall be phased out with the term of current lease and no extension of those mining lease shall be allowed:

Provided that the permission to collect sand and stone from river bed for local use at locations may be permitted at sites approved vide no. 8-104, 89-FC, dated 26/07/1990 under FCA-1980 by the Ministry of Environment and Forests.

(3) Trees: Felling of trees on forest should be as per the Working Plan or Management Plan approved by the Competent Authority and the felling of trees on private or revenue lands may be allowed in accordance with the State regulations.

(4) Tourism: Tourism activities shall be as per the Tourism Master Plan which shall emphasize on ecotourism, eco-education and eco-development and be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Department of Environment and Forest and shall be a component of the Zonal Master Plan.

(5) Ground Water:

(a) Extraction of ground water for bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of land shall be allowed.

(b) Extraction of ground water for industrial, commercial use shall require prior written permission, including the amount that can be extracted, from the State Ground Water Board.

(c) Appropriate steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water, including from agriculture activities.

(6) Use of Plastics: No person shall use plastic carry bags within the Eco-sensitive zone area and the disposal of plastic articles shall be strictly regulated.

(7) Noise pollution: The Environment Department or the State Forest Department, Gujarat shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(8) Discharge of effluents: No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body or on land within the Eco-sensitive Zone and the treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(9) Solid Wastes: (a) The solid waste disposal shall be carried out in accordance with the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000, as amended from time to time.

(b) (i) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(ii) the biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone; and

(iv) no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Natural Springs: The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

(11) Awareness: The state Environment and Forests Department shall regularly carried out nature education and environmental awareness campaigns in each village falling in Eco-sensitive Zone, highlighting the importance and usefulness of the Wildlife Sanctuary.

4. Monitoring Committee. –

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Purna Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification.

(2) The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1) above, shall consist of not more than ten members who shall represent the following, namely:-

(a) Collector, Dangs – Chairman;
(b) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
(c) one representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of India – Member;
(d) Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Dangs – Member;
(e) Senior Town Planner of the area – Member;
(f) a representative of the Department of Forests and Environment, Government of Gujarat – Member;
(g) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
(h) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary), Dangs – Member Secretary.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification.

(4) In case of activities requiring prior permission, under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Monitoring Committee shall refer all such matters to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior clearances under the provisions of the said notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or the Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in Ministry of Environment and Forests.

(8) The Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the Monitoring Committee for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

ANNEXURE - I

[See paragraph 1(f)]

Map and boundary Global Positioning System points of Purna Wildlife Sanctuary and Purna Eco-sensitive Zone.

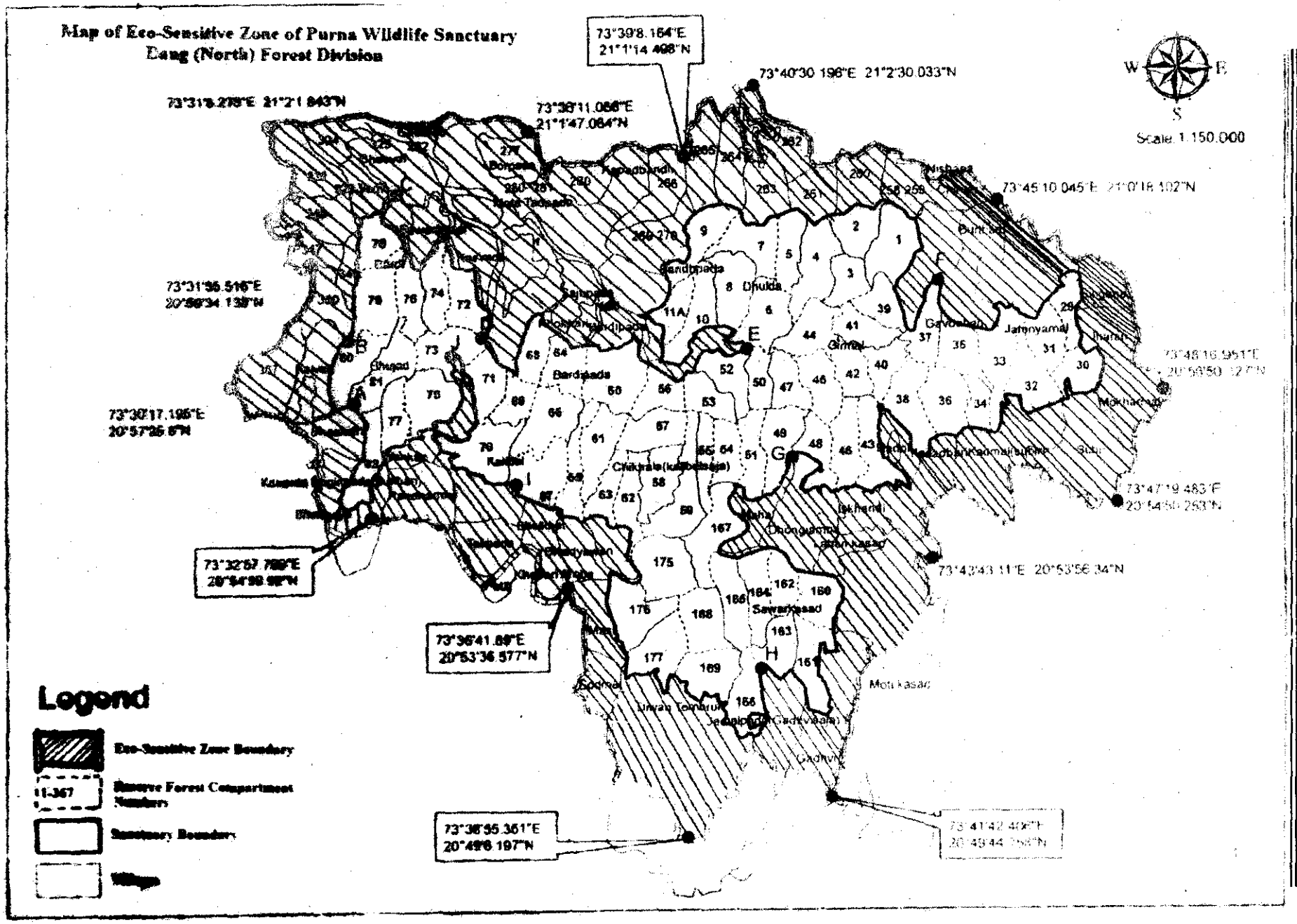

Map of Eco-Sensitive Zone of Purna Wildlife Sanctuary
Dang (North) Forest Division
73°39'8.164"E
21°1'14.498"N
73°40'30.196"E 21°2'30.033"N
W
E
S
Scale 1:150,000
73°38'11.066"E
21°1'47.064"N
73°45'10.045"E 21°0'18.102"N
73°31'36.516"E
20°59'34.139"N
73°48'16.951"E
20°59'50.127"N
73°30'17.195"E
20°57'26.6"N
73°47'19.483"E
20°54'50.253"N
73°32'57.786"E
20°54'50.98"N
73°42'43.11"E 20°53'56.34"N
73°36'41.69"E
20°53'36.577"N
73°36'55.351"E
20°49'6.197"N
73°41'42.406"E
20°49'44.758"N
Nishana
Jamnyamal
Gavdahad
Mokhamal
Dhulda
Bardipada
Chikhala(kalibelsaja)
Sawarkasad
Moti kasad
Gadhvi
Legend
Eco-Sensitive Zone Boundary
Reserve Forest Compartment Numbers
Sanctuary Boundary
Village

Lat. - Long. Of Purna Wiidlife Sanctuary
Dang (North) Forest Division

A	73°32'41.386"E 20°57'2.529"N
B	73°32'36.243"E 20°58'10.294"N
C	73°33'34.725"E 21°0'44.129"N
D	73°35'9.401"E 20°58'8.364"N
E	73°40'15.334"E 20°57'46.718"N
F	73°43'58.364"E 20°58'55.558"N
G	73°41'5.516"E 20°55'49.51"N
H	73°40'23.434"E 20°52'2.89"N
I	73°35'46.069"E 20°55'29.369"N
J	73°35'46.069"E 20°55'29.369"N

Boundary Global Positioning System points of Eco-sensitive Zone

Sr.No.	Name of village	Latitude	Longitude
1	Gadhvi	20°49'44.758"N	73°41'42.406"E
2	Iskhandi	20°53'56.34"N	73°43'43,11"E
3	Subir	20°54'50.253"N	73°47'19.483"E
4	Mokharmal	20°56'50.127"N	73°43'16.951"E
5	Burthadi	21°0'18.102"N	73°45'10.045"E
6	Amthava	21°2'30.033"N	73°40'30.196"E
7	Amthava	21°1'14.498"N	73°39'8.164"E
8	Mota tadpada	21°1'0.546"N	73°36'30.588"E
9	Borpada	21°1'47.064"N	73°36'11.056"E
10	Vadi	21°2'1.843"N	73°31'8.278"E
11	Sawarkhadi	20°59'34.138"N	73°31'55.516"E
12	Kelvan	20°57'25.8"N	73°30'17.195"E
13	Jamanpada	20°54'59.92"N	73°32'57.769"E
14	Khatal	20°53'36.577"N	73°36'41.89"E
15	Ahwa	20°49'6.197"N	73°38'55.351"E

ANNEXURE - II
[See paragraph 1(f)]

List of villages falling within the areas of Purna Eco-sensitive Zone

A. Taluka Ahwa

Hadol, Kalibel, Bhalkhet, Chikhala, Bardipada, Dhulda, Girmal, Savarkhadi, Dardi, Bhujad, Bandhpada, Sawardakasad, Divantemrun, Gaodahad, Jamanyamal, Kasadbari, Sajupada, Iskhandi, Bheskatri, Mahal, Dhongiamba, Kadmal, Zaran, Shingana, Kosimada, Khokhari, Burthadi, Machhali, Subir, Mokhamal, Divdyavan, Motikasad, Enginpada Gadhavi (Ruimal), Pandharmal, Bhongdia, Jamlapada, Vankan.

B. Songadh

Borpada, Gutvel, Wadi(Rupghadh), Kapadbhand, Mota, Tadpada, Chimer, Kelvan, Chevdi.

Details of the Proposed Villages falling within the boundary of Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Name of Village	Name of Taluka	Proposed Area (Ha)			Remarks
			Forest Area	Non-Forest Area	Total Area	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hadol	Ahwa	18.22	170.56	188.78	Dangs dist.
2.	Kalibel	Ahwa	42.66	351.92	394.58	"
3.	Bhalkhet	Ahwa	44.11	320.90	365.01	"
4.	Chikhala	Ahwa	10.11	201.45	211.56	"
5.	Bardipada	Ahwa	39.64	281.74	321.38	"
6.	Dhulda	Ahwa	30.73	389.83	420.56	"
7.	Girmal	Ahwa	77.03	429.48	506.51	"
8.	Savarkhadi	Ahwa	155.32	63.70	219.02	"
9.	Dardi	Ahwa	49.19	27.34	76.53	"
10.	Bhujad	Ahwa	58.95	164.63	223.58	"
11.	Bandhpada	Ahwa	9.26	92.89	102.15	"
12.	Sawardakasad	Ahwa	3.92	129.70	133.62	"
13.	Divantemrun	Ahwa	79.29	4669.10	4748.39	"
14.	Gaodahad	Ahwa	70.73	232.84	303.57	"
15.	Jamanyamal	Ahwa	24.09	609.90	633.99	"
16.	Kasadbari	Ahwa	97.32	316.01	413.33	"

17.	Sajupada	Ahwa	35.03	181.64	216.67	"
18.	Iskhandi	Ahwa	3.31	204.67	207.98	"
19.	Bheskatri	Ahwa	16.06	296.65	312.71	"
20.	Mahal	Ahwa	88.62	179.08	267.70	"
21.	Dhongiamba	Ahwa	110.78	457.28	568.06	"
22.	Kadmal	Ahwa	89.55	775.81	865.36	"
23.	Zaran	Ahwa	16.87	262.94	279.81	"
24.	Shingana	Ahwa	15.06	253.03	268.09	"
25.	Kosimada	Ahwa	41.14	259.55	300.69	"
26.	Khokhari	Ahwa	32.37	75.55	107.92	"
27.	Burthadi	Ahwa	4.88	162.58	167.46	"
28.	Machhali	Ahwa	71.10	225.54	296.64	"
29.	Subir	Ahwa	42.08	739.95	782.03	"
30.	Mokhamal	Ahwa	30.13	423.25	453.38	"
31.	Divdyavan	Ahwa	52.48	194.87	247.35	"
32.	Motikasad	Ahwa	2856.01	150.26	3006.27	"
33.	Enginpada	Ahwa	60.27	68.03	128.30	"
34.	Gadhavi (Ruimal)	Ahwa	165.12	884.53	1049.65	"
35.	Pandharmal	Ahwa	52.35	381.27	433.62	"
36.	Bhongdia	Ahwa	220.22	104.05	324.27	"
37.	Jamlapada	Ahwa	89.39	348.47	437.86	"
38.	Vankan	Ahwa	37.10	58.90	96.00	"
	Total (Ahwa Tal):		**4940.49**	**15139.89**	**20080.38**	
39.	Borpada	Songhadh	127.18	210.47	337.65	Tapi Dist
40.	Gutvel	Songhadh	161.59	210.09	371.68	"
41.	Wadi (Rupghadh)	Songhadh	290.84	125.44	416.28	"
42.	Kapadbhand	Songhadh	967.43	185.13	1152.56	"
43.	Mota Tadpada	Songhadh	178.60	223.63	402.23	"
44.	Chimer	Songhadh	1067.88	445.44	1513.32	"
45.	Kelvan	Songhadh	283.68	234.87	518.55	"
46.	Chevdi	Songhadh	131.64	112.20	243.84	"
	Total (Songhadh Tal:)		**3208.84**	**1747.27**	**4956.11**	
	Grand Total:		**8149.33**	**16887.16**	**25036.49**	

Annexure III

[See paragraph 3]

Activities to be prohibited, regulated or permitted within the Eco-Sensitive Zone around Purna Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining	Yes			Regulation will not prohibit the digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption
2.	Felling of trees		Yes		With permission from appropriate authority
3.	Setting of saw mills	Yes			
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	Yes			
5.	Establishment of hotels and resorts		Yes		As per approved master plan, which takes care of habitats allowing no restriction on movement of wild animals
6.	Commercial use of firewood	Yes			For hotels and other business related establishment
7.	Drastic change of agriculture systems		Yes		

8.	Commercial water resources including ground water harvesting	Yes			For hotels and other business related establishment
9.	Establishment of major hydroelectric projects	Yes			
10.	Erection of electrical cables		Yes		Promote underground cabling
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities			Yes	However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the master plan
12.	Rain Water harvesting			Yes	Should be actively promoted
13.	Fencing of premises of hotels and lodge	Yes			
14.	Organic farming			Yes	Should be actively promoted
15.	Use of polythene bags by shopkeepers	Yes			
16.	Use of renewable energy source			Yes	Should be actively promoted
17.	Widening of roads		Yes		This should be done with proper EIA and mitigation measures
18.	Movement of vehicular traffic at night		Yes		For commercial purpose
19.	Introduction of exotic species	Yes			
20.	Use or production of any hazardous substances	Yes			
21.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any aircraft, hot-air balloons	Yes			
22.	Protection of hill slopes and river banks		Yes		As per master plan

23.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or terrestrial area	Yes			
24.	Air and vehicular pollution		Yes		
25.	Sign boards & hoardings		Yes		
26.	Adoption of green technology for all activities			Yes	Should be actively promoted

[F. No. 25/3/2012-ESZ/RE]

Dr. G.V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.